

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 2351032542010

दांडिक प्रकरण क.-114 / 2010

संस्थापित दिनांक-12.04.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	अभियोजन
विरुद्ध	
01-नीतेश पुत्र पहलवान आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम चुरारी, चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0	आरोपी
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपी द्वारा :- श्री आर एस यादव अधिवक्ता।	

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 03.11.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324,323,504 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी भैयन से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 504 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324,323 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी रामसेवक ने दिनांक 01.03.10 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 28.02.10 समय 08:00 बजे लगभग ग्राम चुरारी में आरोपी शराब पीकर आया और उसे गालियां देने लगा। गालियां देने से मना करने पर आरोपी उससे चेंट गया और जब उसके पिताजी बचाने आए तो आरोपी ने उसके पिताजी को छड से मारा। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 84/2010 के अंतर्गत भादवि की धारा 323,504 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 324,323,504 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 28.02.10 रात 08:00 बजे ग्राम चुरारी में फरियादी रामसेवक की स्वेच्छया मारपीट कर उपहति कारित की ?
2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी भैयन की धारदार अस्त्र से मारपीटकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक

01 से 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 भैययन, अ.सा.2 रामबाबू, अ.सा.3 सीताराम, अ.सा.4 डॉ सिद्धार्थ, अ.सा.5 विजय, अ.सा.6 की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 भैययन ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। तथा फरियादी रामसेवक उसका लउका है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपी ने आकर उसे तथा उसके लडके को मारा था। अ.सा.1 के अनुसार उसे थप्पड़ व सेंडल से मारा था जिसे उसे व उसके लडके को चोट आई थी। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि उसने रामसेवक और नीतेश की लड़ाई नहीं देखी। अ.सा.2 रामबाबू ने अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने कोई घटना नहीं देखी है। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्र0पी01 देने से इंकार किया है। अ.सा.3 सीताराम ने भी अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्र0पी02 का ए से ए भाग देने से इंकार किया है। अ.सा.2 एवं अ.सा.3 ने दोनों साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने रामसेवक एवं भैययन के साथ मारपीट की थी। दोनों साक्षीगण ने इस बात से भी इंकार किया है कि उन्होंने भी बीचबचाव किया था।

09— अ.सा.4 डॉ एस पी सिद्धार्थ ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा दिनांक 01.03.10 को आहत रामकिशन का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसमें उसके शरीर पर उन्होंने दो चोटे पाई थी जो साधारण प्रकृति की थी जिसकी रिपोर्ट प्र0पी03 है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त दिनांक को ही उनके द्वारा आहत भैययन का मेडिकल परीक्षण भी किया गया था जिसमें उसके पैर पर कटा घाव पाया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी04 है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि आहत भैययन को आई चोट किसी नुकीली चीज से आना संभव है। अ.सा.5 विजय बुदेला ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा प्रकरण में नक्सा मौका प्र0पी05 तैयार किया गया था और

साथ ही साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये गये थे। उक्त साक्षी के अनुसार उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार भी किया था।

10— प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी अ.सा.2 एवं अ.सा.3 पक्षद्रोही हो गये हैं। मामले के फरियादी रामसेवक की साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त साक्षी को अदमपता घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में मात्र अ.सा.1 तथा मेडिकल विशेषज्ञ अ.सा.4 की साक्ष्य ही अभिलेख पर शेष रह जाती है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष देना है कि क्या उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी एवं आहत के साथ मारपीट कर उपहति कारित की गई। अ.सा.1 भैययन ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि आरोपी ने उसे मारा था किंतु यह नहीं बताया है कि उसे किस चीज से मारा था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके पुत्र रामसेवक को भी मारा था। यद्यपि उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी ने रामसेवक को मारा था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने रामसेवक और नीतेश की लड़ाई नहीं देखी। इस प्रकार अ.सा.1 की साक्ष्य परस्पर विरोधाभासी है और साथ ही अ.सा.1 की साक्ष्य से संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अ.सा.1 की साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा अ.सा.1 को धारदार हथियार से मारा गया था।

11— यद्यपि प्रकरण में अ.सा.4 मेडिकल विशेषज्ञ की साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि फरियादी एवं आहत को चोटे आई थी किंतु उल्लेखनीय है कि आहत ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि आरोपी ने धारदार हथियार से उसकी मारपीट की थी। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन के अनुसार उक्त साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है और इस प्रकार उक्त साक्षी की साक्ष्य महत्वपूर्ण है, किंतु अ.सा.1 की साक्ष्य न केवल विरोधाभासी है बल्कि अ.सा.1 की साक्ष्य से संदेह की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। उल्लेखनीय है कि अ.सा.1 एक ओर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि उसके सामने रामसेवक के साथ आरोपी ने मारपीट की थी, वहीं अपने प्रतिपरीक्षण में

उक्त साक्षी ने इसके विपरीत कथन किया है कि उक्त घटना दिनांक को उसके समक्ष कोई लड़ाई नहीं हुई और न ही उसे इस बात की जानकारी है कि नीतेश ने रामसेवक को मारा था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन का अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना चाहिए तथा संदेह की स्थिति में आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा रामसेवक के साथ मारपीट की गई और साथ ही यह भी प्रमाणित नहीं हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा भैययन को धारदार हथियार से मारपीट कर उपहति कारित की गई।

12— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए भादवि की धारा 324,323 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

15— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

